Bhawsa Medium Irrigation Tank Project

Site Inspection by the DFO/CF/CCF:

At present the site Inspection Report submitted by the DCF level is very sketchy and does not convey much to higher officers going for verification of the facts in the field monitoring of the project on a later date as mandated in the guidelines. This is possible only when exhaustive check is carried out at the DCF/DFO level. This would help the higher authorities to verify the facts to arrive at appropriate decisions.

S.	Particulars		Inspection Report By /DFO (T)					
1	Extent in hectares	1-	275.04 Ha.					
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	-	Enclosed in annexture					
3	Legal status of the forest land (protected forest	t	Reserve forest - 274.89 Ha.					
	reserved forest, revenue forest land or any other forest land)	or the second	Protected forest - 0.15 Ha.					
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	-	Area demarcation with boundry by pegs & pillars					
5	Any signs of encroachment.	-	No					
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the PC Act and guidelines there under.		No					
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.		Site quality Ivb, Va, Vb, Density vary from 0.40 to 0.60 total 20346 trees affected Teak Mixed Plants Total 6576 13770 20346					
8	Importance of area from wildife point of view. Status of wildlife (density and abundence of important species bird life reptiles, buterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife) any latest census of wildlife in this area.		Hyena, Jackal, Leoperd, Monkey, Bear, Blue Bull Deer, Wild Pig, Fox, Porcupine, Parrot, Peacock, Myna, Crow, Eagle, Wood Pecker, Cobra, Rat Snake, Pitviper, Python, Monitor leazord, Common Squirrel, Common Butterfly					
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	-	No					
10	Curent land use .is this area mannged as per prescription in the working plan and ,if not, why.	-	Soil conservation work & rehabilitation of RDF & SCI work. Area is maintained as per working plan					
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	-	Jambupani and Umardev are religeous places					
12	Any dependent person /families on this land.	-	Yes/F.V. Choundi Comp. No. 435 of 42 vangram patta holders families dependent on this 129.60 ha.					
THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	Any displacement of person proposed.	-	No					
14	Is there any Rehabilitation and resettlement plan for the persons to be affected? is there any dessenting voice among the persons proposed to be displaced?		No					

15	Compensatory afforestation proposed is or forest land or non - forest land.			On Non forest land Total C.A. area 277.13 Ha.				
The comments in the contract of the contract o	Location of this area, suitability of the area for C.A. if in the degraded forest land then what is			Patch No.	Village	Total Khasra No.	Total Area	
No. of the contraction of the co	the current working plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches			1	Mohad District Burhanpur	28	95.88	
	in case the area should be more than 10 kms.	Account of the second s		2	Chandgarh District Burhanpur	11	44.85	
The second secon				3	Ichhapur District Burhanpur	08	68.04	
and dy in communication of the				4	Doifodiya District Burhanpur	01	24.92	
				5	Dedtalai District Burhanpur	01	10.05	
				6	Kewalary District	01	33.39	
16	Proposed area should not be part of any protected are. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more then 10 km.		Proposed area isatot a protected area					
17	dependence of tribal in the area, whether the rights of the tribal have been recognized in this area.		Yes collector certificatr for settlement of rights under FRA 2006 enclosed					
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	-	for irrigation increasing water table & Employment					
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.		New case, first proposals (N.A.)					
20	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	-	Yes, copy attached					
21	A Certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum		Certificate attached					
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.		No					
23	Any other issue of significance.	-	No				Management	
	Specific recommendation of the DFO with reasons for approval of the project.		It is recommended that wild life protection plan should be prepared because in the proposed area there are habitat of Beer and leoperd and other valuable wild life species. The Dam site is located near the forest area, so that wild life will get benefited and also vegetation will improve in near by forest area and people of this area will be benefitted by irrigation and employment.					

(Naharsingh) Divisional Forest Officer

Div. Burhanpur (T)

Place: Burhanpur

Date: 26 8 20 7

Bhawsa Medium Irrigation Tank Project - Coordinate Details

Point		,				or umate D	
1	210			760	10	Y 2.904" E	
2.					-	- Constitution of the Cons	
						and a	
					19'	41.389" E	
		9'	44.694" N	76 ⁰	19'	56.590" E	
		9'	35.269" N	76 ⁰	19'	47.086" E	
7		9'	12.481" N	76 ⁰	20'	0.758" E	
8	21°	9'	3.366" N	76 ⁰	20'	15.670" E	
9	210	9'	12.481" N	76°	20'	51.742" E	
10	21 ⁰	8'	59.194" N	76 ⁰	20'	38.612" E	
1	210	8'	56.335" N	76 ⁰	19'	57.130" E	
12	21°	91	2.902" N	76 ⁰	19'	36.426" E	
13	210	9'	31.871" N	76 ⁰	19'	25.072" E	
14	210	9'	15.646" N	76°	19'	3.133" E	
15	210	9'	42.396" N	76°	19'	2.284" E	
16	210	91	20.128" N	76°	19'	3.133" E	
17	210	9'	20.358" N	76 ⁰	18'	51.390" E	
18	210	9'	34.265" N	76 ⁰	18'	52.009" E	
19	210	9'	46.004" N	76 ⁰	18'	43.124" E	
20	21 ⁰	9'	18.842" N	76°	18'	48.544" E	
21	210	9'	57.053" N	76 ⁰	18'	54.788" E	
22	21 ⁰	10'	3.206" N	76 ⁰	18'	46.979" E	
23	210	10'	9.206" N	76 ⁰	18'	37.487" E	
24	210	9'	6.401" N	76 ⁰	20'	10.775" E	
25	210	9'	31.218" N			1.832" E	
26	210	9'	53.848" N			47.662" E	
27	210	10'	7.773" N			40.705" E	
28	210					37.131" E	
29	210				19'	27.065" E	
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 21° 2 21° 3 21° 4 21° 5 21° 6 21° 7 21° 8 21° 9 21° 10 21° 11 21° 12 21° 13 21° 14 21° 15 21° 16 21° 17 21° 18 21° 20 21° 21 21° 22 21° 23 21° 24 21° 25 21° 26 21° 27 21° 28 21°	1 21° 10° 2 21° 10° 3 21° 10° 4 21° 9° 5 21° 9° 6 21° 9° 7 21° 9° 8 21° 9° 9 21° 9° 10 21° 8° 11 21° 8° 12 21° 9° 13 21° 9° 14 21° 9° 15 21° 9° 16 21° 9° 17 21° 9° 18 21° 9° 20 21° 9° 21 21° 9° 22 21° 10° 23 21° 9° 24 21° 9° 25 21° 9° 26 21° 9° 27 21° 10° 28 21° 10°	Point X 1 21° 10' 0.306" N 2 21° 10' 11.575" N 3 21° 10' 25.331" N 4 21° 9' 57.590" N 5 21° 9' 44.694" N 6 21° 9' 35.269" N 7 21° 9' 12.481" N 8 21° 9' 33.66" N 9 21° 9' 12.481" N 10 21° 8' 59.194" N 11 21° 8' 56.335" N 12 21° 9' 2.902" N 13 21° 9' 31.871" N 14 21° 9' 31.871" N 14 21° 9' 42.396" N 15 21° 9' 42.396" N 16 21° 9' 20.128" N 17 21° 9' 34.265" N 18 21° 9' </td <td>Point X 1 21° 10' 0.306" N 76° 2 21° 10' 11.575" N 76° 3 21° 10' 25.331" N 76° 4 21° 9' 57.590" N 76° 5 21° 9' 44.694" N 76° 6 21° 9' 35.269" N 76° 7 21° 9' 12.481" N 76° 8 21° 9' 33.66" N 76° 9 21° 9' 12.481" N 76° 10 21° 8' 59.194" N 76° 11 21° 8' 56.335" N 76° 12 21° 9' 2.902" N 76° 13 21° 9' 31.871" N 76° 14 21° 9' 15.646" N 76° 15 21° 9' 42.396" N 76° 16 21° 9'</td> <td>Point X 1 21° 10' 0.306" N 76° 19' 2 21° 10' 11.575" N 76° 19' 3 21° 10' 25.331" N 76° 19' 4 21° 9' 57.590" N 76° 19' 5 21° 9' 44.694" N 76° 19' 6 21° 9' 35.269" N 76° 19' 7 21° 9' 12.481" N 76° 20' 8 21° 9' 3.366" N 76° 20' 9 21° 9' 12.481" N 76° 20' 10 21° 8' 59.194" N 76° 20' 11 21° 9' 12.481" N 76° 19' 12 21° 9' 2.902" N 76° 19' 12 21° 9' 2.902" N 76° 19' 13 21°</td>	Point X 1 21° 10' 0.306" N 76° 2 21° 10' 11.575" N 76° 3 21° 10' 25.331" N 76° 4 21° 9' 57.590" N 76° 5 21° 9' 44.694" N 76° 6 21° 9' 35.269" N 76° 7 21° 9' 12.481" N 76° 8 21° 9' 33.66" N 76° 9 21° 9' 12.481" N 76° 10 21° 8' 59.194" N 76° 11 21° 8' 56.335" N 76° 12 21° 9' 2.902" N 76° 13 21° 9' 31.871" N 76° 14 21° 9' 15.646" N 76° 15 21° 9' 42.396" N 76° 16 21° 9'	Point X 1 21° 10' 0.306" N 76° 19' 2 21° 10' 11.575" N 76° 19' 3 21° 10' 25.331" N 76° 19' 4 21° 9' 57.590" N 76° 19' 5 21° 9' 44.694" N 76° 19' 6 21° 9' 35.269" N 76° 19' 7 21° 9' 12.481" N 76° 20' 8 21° 9' 3.366" N 76° 20' 9 21° 9' 12.481" N 76° 20' 10 21° 8' 59.194" N 76° 20' 11 21° 9' 12.481" N 76° 19' 12 21° 9' 2.902" N 76° 19' 12 21° 9' 2.902" N 76° 19' 13 21°	

ः कार्यालय कलेक्टर, जिला – बुरहानपुर (म.प्र.) ः ।। प्रमाण पत्र ।।

प्रमाणित किया जाता है कि जिलें बुरहानपुर कें ग्रांम भावसा, नुई चोंडी के आरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड जम्बू पानी के कक्ष क्रमांक 428, 433, 434, 435, एवं 436 रकबा 260.12 हेक्टेयर भावसा वनक्षेत्र के खसरा क्रमांक किया रकबा हेक्टेयर वनभूमि जो भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, मैं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की संपूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

- 1. अभिलेखों के आधार पर यहं पाया गया कि . भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा किंकी हेक्टर वनभूमि पर उसके चारों ओर निवासरत् किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है।
- 2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्ततृ विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है, अथवा /यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दू लागू नहीं है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) साथ ही जिलें के अंतगर्त संपूर्ण आवेदित वनक्षेत्र भावसा में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है। (यदि लागू नहीं हो तो)
- 3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों से चर्चा कर सहमति दी गई है ।
- 4. यह भी प्रमाणित किया जाता हैं, कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।
- 5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है। अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है, एवं पूर्ण की जावेंगी । (जो भी लागू हो)

Executive Engineer Water Resources Division Burhanpur &

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिलास्तरीय समिति, बुरहानपुर (म.प्र.)

न्युनत्म वन क्षेत्र प्रमावित होने के संबंध में तुलनात्मक दृष्टि से न्युनतम तीन ऐसे विकल्प परीक्षणों का

उपयुक्त स्केल के नक्शे पर दशति हुए उनकी परीक्षणात्मक टीप

वैकल्पिक बांध स्थल 1

(1.80 कि.मी.) एवं ऊंचाई 28 मी. आती है। डूब क्षेत्र लगभग 330 हेक्टर प्रभावित हो रहा था। किन्तु स्पिल चेनल के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल नहीं होने एवं बांध के नीचे वनग्राम चौण्डी बहुत पास में खतरा पैदा हो सकता था। या पुर्नबसाहट करना गया । चयनित स्थल पर बांध की लम्बाई 1800 मी. आ रहा था। जिससे सिपेज वाटर के कारण डाऊन स्ट्रीम की जमीन दलदल एवं नमी होने के कारण वन ग्राम चौण्डी के निवासीयों की सुरक्षा को भी अमरावती नदी पर जिला बुरहानपुर के अन्तर्गत वैकल्पिक बांध स्थल --1 से 500 मी. ऊपर (अपस्ट्रीम) वन सीमा से वन के अन्दर लगभग 500 मी. पर बाध स्थल का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण किया विकल्प–2 पर चयनित स्थल तकनीकी रूप अत्यन्त आवश्यक रहता। इन्ही कारणों वैकल्पिक बांध स्थल 2 उपयुक्त नहीं पाया गया। कारण डूब क्षेत्र लगमंग 380 हेक्टर आने की ख संभावना थी एवं डूब क्षेत्र में वन ग्राम चौण्डी पूर्ण अन रूप से डूब से प्रमावित हो रहा था। जिससे वि वनग्राम चोण्डी का पूर्ण रूप से पुनंबसाहट करना ज आवश्यक होता। जिससे बांध, नहर वन भूमि का परियोजना का निर्माण नहीं हो सकता था। इसलिये राजस्व सीमा से जुड़ी हुई वन सीमा पर अमरावती नदी के दोनो तटों पर ऊंचे —ऊंचे केया गया एवं निरीक्षण व सर्वेक्षण किया गया राजस्व भूमि पर सिंचाई परियोजनाँ हेतु निरीक्षण किया गया। तकनीकी रूप से नदी के किनारे ऊंचे – ऊंचे नहीं पाये गये। जिससे कहीं भी चयनित स्थल पर बांध की लम्बाई 2000 मी.(2.00 कि.मी) ऊंचाई 28 मी. एवं अधिक समतल होने के पहाड़ पाये गये। बांध निर्माण हेतु स्थल का चयन

वैकल्पिक बांध स्थल -3

फ्रं—3 तकनीकी रूप से बांध निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल है। एवं बांध निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण केया जाकर डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के निर्देश तीनों विकल्पों का निरीक्षण विभाग के मुख्य अभियन्ता नर्मदा ताप्ती कछार इन्दौर (म.प्र) द्वारा वनग्राम चौण्डी को कोई खतरा नहीं होने से। इन निरीक्षण किया गया एवं सभी तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर तीनों विकल्पों के तुलनात्मक अध्ययन एवं तकनीकी दृष्टि से बांध की लम्बाई, ऊंचाई, स्पिल चेनल की स्थिति प्रभावित मार्ग का विकल्प डूब क्षेत्र कम होना एवं भराव क्षमता अधिक होने से स्थल उचित पाया गया तथा नीचे बसा हुआ करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि विकल्प की लम्बाई 1300 मी.(1.30 कि.मी) एवं ऊचाई 29 मी बांध स्थल के चयन हेतु स्थल का निरीक्षण एवं सेव्क्षण किया गया चयनित स्थल पर बांध स्थल वैकल्पिक बाध स्थल –2 से लगभग 500 मी. उपर

> जल ससाधन उपसभाग क.1 अनुविभागीय अधिकारी

स्थल पर चयन किया जाना तकनीकी रूप सें

अनुरूप नहीं होने के कारण परियोजना उक्त

लागत से परियोजना की लागत बहुत अधिक आती और म.प्र. शासेन के निर्धारित मापदण्डों के

मुआवजा एवं ग्राम का मुआवजा व पुर्नबसाहट की

Water Researces Division Executive Bayenser Frank

& Morney जल संसाधन संभाग, कार्यपालन यंत्री, बुरहानपुर

बुरहानपुर

न्यूनतम वन क्षेत्र के उपयोग का प्रमाण पत्र (पूरे जिले में अन्य विकल्प के नहीं होने के परीक्षण का प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है, जिला बुरहानपुर के वन मंडल बुरहानपुर के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र बोदरली / शाहपुर आरक्षित वन खंड जम्बूपानी के आरक्षित वन कक्ष क्रं.433,434,435,481,428 एंव 436 का कुल रकबा 276.84 हेक्टर में अन्य सभी विकल्पों का पता लगा लिया है और अपेक्षित वन भूमि की मांग आवश्यक एवं अन्य विकल्पों की तुलना में न्यूनतम है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर

वन मण्डलाधिकारी

बन्हामपुर सा. वन मण्डल बुरहानपुर